FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

भानीराम वगै. बनाम रूखमा देवी वगै.

किस्म मुकदमा :–प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी. एक्ट मु.नं. एवं सन 83/17 व 2017/00181

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
24.12.19	पत्रावली पे ा हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, दस्तावेज, नजरी नक ाा पटवार तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र का गहनता पूर्वक अवलोकन करने व बहस वकील उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी भूमि में से 2 बिस्वा रास्ते की आत्यंतिक आव यकता प्रतीत होती है तथा प्रार्थीगण इस रास्ते में आयी 2 बिस्वा भूमि के बदले नियमानुसार डीएलसी की दोगुनी दर से मुआवजा देने को भी तैयार है। वही अप्रार्थी ने भी अपने जबाब में डीएलसी की दोगुनी दर से मुआवजा देने के प चात ही रास्ता स्वीकृत करने का कथन किया है। अतः प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यतिंक आव यकता को देखते हुए अप्रार्थीया की खातेदारी भूमि मु.न. 160/52 के कि.न. 25 में पूर्वी दि ाा में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण अप्रार्थीया को डीएलसी से दुगुनी कीमत अदा करें। तहसीलदार राजस्व मुआवजा अदा करने पर निर्णय की पालना में रिकार्ड में अमलदरामद करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली फै ाल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	